

20/11-20

प्रधान शिक्षा विभाग अधिकारी, पारसिक विभाग, जयपुर।

कार्यालय आदेश

देही पब्लिक स्कूल, आ.सो.स. - आजमेर रोड - जयपुर को 'देही माध्यम/पुत्री माध्यम में राजस्थान में सरकारी शिक्षण संस्थान मान्यता एवं अनुदान नियम-1993, एवं तत्पश्चात् किये गये विधायक के अन्तर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करती हुई, तम. 2004-05 में उक्त प्राथमिक स्तर की मान्यता उनके आदेशन एवं निरीक्षण दल की अभिप्रेक्षा पर दी जाती है।

मान्यता तदनु-नियमों की पालना न करते अध्यापक अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

शर्त:-

- 1- कक्षा अनु-तर शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जायें।
- 2- छात्र संख्या निर्धारित मानकनुसार होनी चाहिये।
- 3- कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्ते आदि की सुविधा दी जाये।
- 4- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष संस्था अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायगा।
- 5- 30 दिनांश के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आय व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय में सांख्यिकी शाखा में प्रस्तुत करें।
- 6- शिक्षा आयोग के अन्तर्गत के संस्था शिक्षा से संबंधित परिक्षण के बच्चों को प्राथमिक आना से अन्तर्गत रूप से जोड़कर सूची हस्त, कार्यालय में आध्यापक रूप से प्रस्तुत करें।
- 7- शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं गुणधर्म पूर्णतया वास्तविक एवं सही होने चाहिए।
- 8- 'सामाजिक आदेशों' एवं 'विधायक' की शत-प्रतिशत पालना की जानी आवश्यक है।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा.वि. विभाग, जयपुर।

दिनांक: 23/5/04

प्रा.वि. विभाग/जयपुर/प्रा.वि. विभाग/सामान्य-2/का.मा/ 0/

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1- शिक्षा उप-निर्देशक प्रा.वि. विभाग, जयपुर।
- 2- सचिव, देही पब्लिक स्कूल, आ.सो.स. - आजमेर रोड, जयपुर
- 3- शिक्षा प्रदायनी

[Signature]
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा.वि. विभाग, जयपुर।

[Signature]
PRINCIPAL
DEHI PUBLIC SCHOOL
BHANKROTA